"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2005—माघ 8, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2005

क्रमांक ई-1-16/2004/एक/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/12/2004-एआईएस (I), दिनांक 7-12-2004 के द्वारा श्रीमती रितु सेन, भा.प्र.से. (RR 2003) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में स्थानांतरित (संवर्ग परिवर्तन) किया गया है. श्रीमती रितु सेन, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2005

क्रमांक एफ 1-1/2004/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट क, ख एवं ग में दर्शाये गये जिलेवार विकासखण्डों में केवल नियत मतदान दिनांक क्रमशः दिनांक 15 जनवरी, 2005 शनिवार एवं 20 जनवरी, 2005, गुरुवार तथा 23 जनवरी, 2005 रविवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संदर्भ में केवल (जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों) संबंधित विकासखण्डों के लिये दिनांक 15 जनवरी, 2005 शनिवार एवं दिनांक 20 जनवरी, 2005 गुरुवार को सामान्य अवकाश घोषित करता है. दिनांक 23 जनवरी, 2005 रविवार का दिन होने के कारण पूर्व से ही अवकाश घोषित है. [यह अवकाश नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत) क्षेत्रों के लिये नहीं होगा.]

2. उक्त संबंधित दिनांक को केवल ऊपर उल्लेखित संबंधित विकासखण्डों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट-1881) 1881 का क्रमांक 26 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

परिशिष्ट-क

दिनांक 15-01-2005 को मतदान के प्रथम चरण में सम्मिलित विकासखण्ड

क्रमांक (1)	जिला (2)	क्रमांक (3)	विकास खण्ड का नाम (4)
1.	बिलासपुर	1	मरवाही
		2	गौरेला
		3	पेण्ड्रा
		4	कोटा
2.	जांजगीर-चांपा	1	जांजगीर
		2	बम्हनीडीह
		3	सक्ती
3.	कोरबा	1	कोरबा
		2	करतला
4.	सरगुजा	1	लुण्ड्रा
		2	सीतापुर
		3	बलरामपुर
		4	बतौली
		5	शंकरगढ़
		6	कुसमी
5.	कोरिया	1	बैकुण्ठपुर
		2	सोनहत
6.	रायगढ़	1	रायगढ़
		2	पुसौर
		3	तमनार

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	जशपुर	1	मनोरा
		2	बगीचा
8.	रायपुर	1	बलौदाबाजार
		2	पलारी
		3	बिलाईगढ़
		4	कसडोल
		5	भाटापारा
		6	सिमगा
9.	महासमुन्द	1	महासमुन्द
10.	धमतरी	1	कुरूद
		2	धमतरी
		3	नगरी
11.	दुर्ग	1	बेमेतरा
		2	नवागढ़
		3	साजा
		4	बेरला
12.	राजनांदगांव	1	मानपुर
		2	मोहला
		3	चौकी
13.	कबीरधाम	1	कवर्धा
		2	सहसपुर-लोहारा
14.	बस्तर	1	जगदलपुर
		2	तोकापाल
		3	बास्तानार
		4	दरभा
		5	लोहान्डीगुड़ा
15.	द. ब. दंतेवाड़ा	1	सुकमा
		2	कोन्टा
		3	छिन्दगढ़
	कुल योग	49	

परिशिष्ट-ख

दिनांक 20-01-2005 को मतदान के द्वितीय चरण में सम्मिलित विकासखण्ड

क्रमांक (1)	जिला (2)	क्रमांक (3)	विकासखण्ड का नाम (4)
1.	बिलासपुर	1	मुंगेली
		2	लोरमी
		3	तखतपुर
2.	जांजगीर-चांपा	1	अकलतरा
		2	बलौदा
		3	पामगढ़
3.	कोरबा	1	कटघोरा
		2	पाली
4.	सरगुजा	1	प्रतापपुर
		2	ओड़गी
		3	भैयाथान
		4	रामचन्द्रपुर (रामानुजगंज)
		5	वाड्रफनगर
		6	मैनपाट
		7	राजपुर
5.	कोरिया	1	मनेन्द्रगढ़
		2	भरतपुर
6.	रायगढ़	1	सारंगढ़
		2	बरमकेला
		3	खरसिया
7.	जशपुर	1	जशपुर
		2	दुलदुला
		3	कुनकुरी
8.	रायपुर	1	धरसींवा
		2	अभनपुर
		3	आरंग
		4	तिल्दा
		5	फिंगेश्वर

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	महासमुन्द	1	बागबाहरा
		2	पिथौरा
10.	धमतरी	1	मगरलोड
11.	दुर्ग	1	दुर्ग
		2	धमधा
		3	पाटन
		4	गुण्डरदेही
12.	राजनांदगांव	1	छुरिया
		2	डोंगरगांव
		3	राजनांदगांव
13.	कबीरधाम	1	बोड़ला
		2	पंडरिया
14.	बस्तर	1	बस्तर
		2	बकावण्ड
		3	कोण्डागांव
15.	उ. ब. कांकेर	1	दुर्गुकोन्दल
		2	भानुप्रतापपुर
		3	कांकेर
		4	चारामा
16.	द. ब. दंतेवाड़ा	1	दंतेवाड़ा
		2	गीदम
		3	कटेकल्याण
		4	कुआकोण्डा
	योग	51	

परिशिष्ट–ग

दिनांक 23-01-2005 को मतदान के तृतीय चरण में सम्मिलित विकासखण्ड

क्रमांक (1)	जिला (2)	क्रमांक (3)	विकासखण्ड का नाम (4)
1.	बिलासपुर	1	पथरिया
		2	बिल्हा
		3	मस्तुरी

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	जांजगीर-चांपा	1	मालखरौदा
		2	डभरा
		3	जैजैपुर
3.	कोरबा	1	पोड़ीउपरोड़ा
4.	सरगुजा	1	अंबिकापुर
		2	लखनपुर
		3	उदयपुर
		4	प्रेमनगर
		5	रामानुजनगर
		6	सूरजपुर
5.	कोरिया	1	खड़गवां
6.	रायगढ़	1	घरघोड़ा
		2	लैलूंगा
		3	धरमजयगढ़
7.	जशपुर	1	फरसाबहार
		2	कांसाबेल
		3	पत्थलगांव
8.	रायपुर	1	गरियाबंद
		2	छुरा
		3	मैनपुर
		4	देवभोग
9.	महासमुन्द	1	बसना
		2	सरायपाली
10.	दुर्ग	1	गुरूर
		2	बालोद
		3	डौण्डी
		4	डौण्डीलोहारा
11.	राजनांदगांव	1	डोंगरगढ़
		2	खैरागढ़
		3	छुईखदान

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	बस्तर	1	केशकाल
		2	माकड़ी
		3	बड़ेराजपुर
		4	फरसगांव
		5	ओरछा
		6	नारायणपुर
13.	उ. ब. कांकेर	1	नरहरपुर
		2	अंतागढ़
		3	कोयलीबेड़ा
14	द. ब. दंतेवाड़ा	1	बीजापुर
		2	भैरमगढ़
		3	भोपालपट्टम
		4	ऊसूर
	कुल योग	46	

रायपुर दिनांक 4 जनवरी 2005

क्रमांक ई-7/52/2004/1/2.—श्री सोनमणि वोरा, भा.प्र.से., आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर की दिनांक 4-1-2005 से 18-1-2005 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री सोनमणि वोरा, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री सोनमणि वोरा, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनमणि वोरा, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5126/3 (बी)/8/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 8, राज्य शासन, श्री संतोष कुमार आदित्य, पिता : रेशम लाल आदित्य को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5144/3 (बी)/22/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 22, राज्य शासन, कु. सुनीता साहू पिता श्री गणेशराम साहू को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5145/3(बी)/16/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 16, राज्य शासन, कु. गरिमा आर्य पिता स्व. श्री आर. डी. आर्य को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5146/3(बी)/15/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 15, राज्य शासन, कु. मधु मिश्रा पिता श्री मुरारी लाल मिश्रा को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5147/3(बी)/23/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 23, राज्य शासन, श्री यशवंत वासनीकर पिता श्री जे. एल. वासनीकर को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5207/3(बी)/26/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 25, राज्य शासन, श्रीमती उषा गेंदले पत्नी डॉ. एम. के. गेंदले को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5208/3(बी)/29/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 29, राज्य शासन, श्री पुरुषोत्तम सिंह मरकाम पिता श्री निर्मल सिंह मरकाम को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5209/3(बी)/25/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 25, राज्य शासन, श्री निरंजन लाल चौहान पिता श्री जोड़धाराम चौहान को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2005

क्र. 339/21-ब/छ.ग./05.—विभाग के आदेश क्रमांक 989/21-ब/छ.ग./04, दिनांक 10/24-2-04, क्र. 701/21-ब/छ.ग./04, दिनांक 27-11-04 और आदेश क्रमांक 7274/ब-3034/21-ब/छ.ग./04 दिनांक 16-12-04 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को निम्नानुसार अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती है :—

1. सचिवालयीन सहायता भत्ता रुपये 3000/- (रुपये तीन हजार मात्र) प्रतिमाह स्वीकृत करती है.

2. अर्दली भत्ता रुपये 1500/- से 2000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाती है.

3. दूरभाष व्यय प्रतिमाह रुपये 1500 (एक हजार पांच सौ मात्र) स्वीकृत करती है.

4. राज्य सरकार उनके तथा उनके आश्रितों को शासकीय चिकित्सालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय चिकित्सालय तथा पैतृक राज्य में स्थित चिकित्सालय जहां सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति पश्चात् निवास करते हों,में किए गए उपचार तथा उनके द्वारा औषधि क्रय में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी.

   न्यायाधीश उपरोक्त वित्तीय लाभ हेतु दिनांक 27-1-2004 से हकदार होंगे तथा वे यह दावा अपने पैतृक राज्य में स्थित उच्च न्यायालय से प्राप्त करेंगे तथा व्यय की नियमित प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय को की जाएगी.

5. उपरोक्त व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन 102 उच्च न्यायालय 573 उच्च न्यायालय भारित के अंतर्गत क्रमश. 01-वेतन भत्ते आदि 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता 008-अन्य भत्ते, 02 मजदूरी, 04 कार्यालय व्यय शीर्षान्तर्गत प्रावधानित राशि में से विकलनीय होगा. जैसा कि क्रमश: स्वीकृत किया गया है.

इस संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 02/ब-3, दिनांक 25-10-2004, 1620/ब-3, दिनांक 14-12-2004 और यू. ओ. क्रमांक 08/1619/ब-3/4/04, दिनांक 7-1-2005 द्वारा सम्यक् रूप से सहमति प्राप्त कर ली गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2005

फा. क्रमांक 351/49/21-ब/छ. ग./2005.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नानुसार सारिणी के क्रमांक (2) में उल्लेखित अधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2004-2005 हेतु दिनांक 28-1-2005 तक की अवधि हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है तथा निर्देश देता है कि वे उक्त संहिता के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री आर. बी. मरकाम	अधीक्षक, भू-अभिलेख उत्तर बस्तर, कांकेर
2.	श्री बी. एस. बट्टी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, कांकेर
3.	श्री के. एस. गंगवाल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, कांकेर
4.	श्री बी. पी. निकेतकारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, कांकेर
5.	श्री जे. आर. भगत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, कांकेर
6.	श्री पी. एल. अग्रवाल	वन मंडलाधिकारी (पश्चिम) भानुप्रतापपुर
7.	श्री एस. पी. रजक	उप वन मंडलाधिकारी (पूर्व) भानुप्रतापपुर
8.	श्री टी. डी. सुखदेवे	उप वन मंडलाधिकारी, भानुप्रतापपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 861/574/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा शिवरीनारायण नगर पंचायत के निवेश क्षेत्र का गठन करता है. जिसकी सीमाएं नीचे दर्शायी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची
शिवरीनारायण निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में - ग्राम तुसमा, दुरपा एवं मुडपार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में - ग्राम दुरपा, मुडपार एवं सिघुल ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में - ग्राम सिंघुल, मुड़पार, दुरपा, तुसमा, मोगहापारा एवं महंतपारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक

पश्चिम में - ग्राम महंतपारा, मोगहापारा एवं तुसमा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2004

क्रमांक 2195/डी-15/2004/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनाक से निम्नलिखित स्थान को, जिनके अंतर्गत किसी मण्डी क्षेत्र में कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, जहां की मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7332/7878/14-3, दिनांक 19-10-1964 द्वारा मण्डी स्थापित की गयी है, मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

महासमुन्द जिले की सरायपाली तहसील में ग्राम पतेरापाली एवं ग्राम सरायपाली की निम्नलिखित 14 खसरा क्रमांकों की कुल रकबा 5.278 हेक्टेयर का क्षेत्र :—

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा
1.	पतेरापाली	742/01	0.215
2.		742/02	0.202
3.		742/03	0.202
4.		742/04	0.202
5.		743	0.450
6.		749/1	0.190
7.		609	0.312
8.		745	1.562
9.		744	0.267
10.		749/2	0.198
11.		752	0.583
12.		608	0.587
13.		612/2	0.170
14.	सरायपाली	1103	0.138
	योग	14	5.278

सीमाएं

(1) उत्तर में - श्री सूर्यनारायण व रामगोपाल की निजी पड़त भूमि एवं शासकीय रास्ता

(2) दक्षिण में - 01. श्री मोहन खोडियार की निजी कृषि भूमि
02. श्रीमती मंजू देवी जौजे निर्मलकर की निजी परिवर्तित भूमि
03. श्री प्रमोद कुमार वल्द करनी दास की निजी परिवर्तित भूमि
04. श्रीमती लक्ष्मी देवी जौजे करनीदास को परिवर्तित भूमि
05. श्रीमती भंवरी देवी जौजे सोहनलाल की परिवर्तित भूमि
06. श्रीमती मंजूदेवी जौजे पूनमचंद की परिवर्तित भूमि
07 श्री महबूब हुसैन वल्द यासिन खान की परिवर्तित भूमि
08 श्री मो. हुसैन वल्द यासिन खान की परिवर्तित भूमि
09. श्री मो. हुसैन वल्द यासिन खान की परिवर्तित भूमि
10. श्री मतबूल हुसैन वल्द यासिन खान की परिवर्तित भूमि
11. श्री मुश्ताक हुसैन वल्द यासिन खान की परिवर्तित भूमि
12. श्रीमती सुबहन बी बेवा-यासिन खान को परिवर्तित भूमि

(3) पूर्व में - 01 श्री श्यामलाल वल्द माईलाल (मीरा साड़ी सेन्टर) की पड़त भूमि
02 श्री विष्णु बारीक की कृषि भूमि

(4) पश्चिम में - 01 श्री नंदलाल वल्द विद्याधर की कृषि भूमि
02 श्री मंसूर वल्द युसूफ की कृषि भूमि
03. श्री शेख याकूब वल्द शेख आसन की कृषि भूमि
04. श्री शेख शरीफ वल्द शेख हकीस की कृषि भूमि
05. श्री हनुमान मंदिर की कृषि भूमि

Raipur, the 5th November 2004

No. 2195/D-15/2004/14-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette, the following place including any structure, enclosure, open place or locality in the market area for which a market has been established by Madhya Pradesh Government, Department of Agriculture Notification No. 7332/7878/14-3, dated 19-10-1964 shall be market yard, namely :—

PLACE

An area of 5.278 hec. land of village Paterapali and Saraipali in Tehsil Saraipali in Mahasamund district, as mentioned below :—

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area
1.	Paterapali	742/01	0.215
2		742/02	0.202
3.		742/03	0.202
4.		742/04	0.202
5.		743	0.450
6.		749/1	0.190
7.		609	0.312
8.		745	1.562
9.		744	0.267
10.		749/2	0.198
11.		751	0.583
12.		608	0.587
13.		612/2	0.170
14.	Saraipali	1103	0.138
	Total	14	5.278

Bounded By—

(1)	On the North by	-	Private land of Shri Surya Narayan S/o Ramgopal
(2)	On the South by	-	1. Private Agriculture land of Shri Mohan Khodiyar 2. Private Agriculture land of Smt. Manju Devi Nirmalkar 3. Private Agriculture land of shri Pramod Kumar S/o Shri Karanidas 4. Private Agriculture land of Smt. Lakshmi Devi W/o Shri Karanidas 5. Smt. Bhanwani Devi W/o Sohanlal 6. Smt. Manju Devi W/o Poonam Chand 7. Shri Mahboob Husain S/o Yasin Khan 8. Shri Mohd. Husain S/o Yasin Khan 9. Shri Mohd. Husain S/o Yasin Khan 10. Shri Matbool Husain S/o Shri Yasin Khan 11. Shri Mustaque Husain S/o Shri Yasin Khan 12. Smt. Subahan W/o Shri Yasin Khan
(3)	On the East by	-	1. Private land of Shri Shyamlal S/o Bhailal (Mira Sari Center) 2. Agriculture land of Shri Vishnu Baarik
(4)	On the West by	-	1. Agriculture land of Shri Mansoor S/o Vidyadhar 2. Agriculture land of Shri Mansoor S/o Yusuf 3. Agriculture land of Shri Sheikh Yakoob S/o Sheikh Aasan 4. Agriculture land of Shri Sheikh Sharik S/o Sheikh Hakis 5. Agriculture land of Shri Hanuman Temple

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9090/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	विचारपुर प. ह. नं. 23	31.039	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक 354/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	बोरगहन प. ह. नं. 17	4.63	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	मनकी माइनर नहर क्र. 3 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व); पाटन (मुख्यालय दुर्ग) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक 355/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	परसवानी प. ह. नं. 17	1.44	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	घीना माइनर नहर क्र. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन (मुख्यालय दुर्ग) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1699 /प्रा. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	पुरदा प. ह. नं. 21	0.33	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला-दुर्ग	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1516 /प्रा. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	साजा प. ह. नं. 27	0.45	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन उप संभाग क्र. 5 दुर्ग.	साजा जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1518 /प्रा. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	डुड़िया प. ह. नं. 5	0.26	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन, उप संभाग, क्र.5 दुर्ग.	जोगनाला जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1742 /प्रा. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	घोठा प. ह. नं. 13	1.11	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन में नहर में भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1748 /प्रा. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	भाठाकोकडी प. ह. नं. 15	1.15	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन की नहर में भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1751 /प्रा. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	राजपुर प. ह. नं. 3	4.27	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	राजपुर जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2004

क्रमांक 19/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सिलपहरी	0.68	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	सिलपहरी जलाशय के बांध एवं मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2004

क्रमांक 12/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गौरेला	11.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय की शाखा नहर गौरेला-2, पतेराटोला उपशाखा नहर, सांवतपुर उप-शाखा नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2004

क्रमांक 22/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	घासीपुर	6.86	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

प्र. क्र. 24/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिरगहनी	0.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

प्र. क्र. 25/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	चपोरा	1.90	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

प्र. क्र. 26/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्इजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सेमरा	1.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

प्र. क्र. 27/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोड़ी	4.83	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक 01/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	साल्हेघोरी	9.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	छेरीछापर जलाशय के डूब क्षेत्र, बण्ड, स्पिल एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2004

क्रमांक 2/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बारीउमराव	0.83	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2005

क्रमांक 01/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सकर्रा	0.59	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व). कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2005

क्रमांक 12/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बेलमुंडी	1.00	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2005

क्रमांक 28/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सैदा	2.51	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2005

क्रमांक 29/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सरसेनी	0.28	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2005.

क्रमांक 30/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बहतराई	0.40	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक भू-अर्जन/17/अ-82/2001-2002/12844.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	पचपेड़ी प. ह. नं. 04	4.50	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), कोरबा.	कोथारी सोहागपुर पचपेड़ी पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	भेंडरा प. ह. नं. 22	3.779	अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) छ.ग.रा.विद्युत मंडल, रायगढ़.	132 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	दक्षिण-रेगांव प. ह. नं. 32	54.918	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के एस डाईक हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/ 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	उत्तर-रेगांव प. ह. नं. 32	23.005	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के एस डाईक हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	पाता प. ह. नं. 39	48.186	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के एस डाईक हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुंजेमुरा प. ह. नं. 39	35.801	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के एस डाईक हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 24 नवम्बर 2004

क्रमांक 6677/भू-अर्जन/01/03-04/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (1894 का क्रमांक 1) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.	बीजापुर	कोत्तापाल	4.854	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दंतेवाड़ा.	कोत्तापाल जलाशय नहर योजना.

दंतेवाड़ा, दिनांक 24 नवम्बर 2004

क्रमांक 6676/भू-अर्जन/03/03-04/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (1894 का क्रमांक 1) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.	बीजापुर	कोत्तापाल	24.218	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दंतेवाड़ा.	कोत्तापाल जलाशय योजना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 जून 2003

क्रमांक 8 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवंश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-बिसुनपुर, प.ह.नं. 58,
गोपीपुर, प.ह.नं. 64

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 + 0.31=1.67 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-बिसुनपुर, प. ह. नं. 58	
502	0.13
506	0.02
671	0.03
567	0.02
568	0.03
676	0.08
569	0.03
606	0.06
570	0.02
577	0.01
578	0.02
589	0.05
590	0.04
595	0.21
598	0.06
605	0.09
607	0.02
642	0.05
646	0.09
688/2	0.06
690	0.09
789	0.05
791	0.10
योग 23	1.36
ग्राम-गोपीपुर, प. ह. नं. 64	
509	0.02
508	0.06
120	0.03
119	0.01
124	0.06
133	0.03
144	0.06
499	0.01
501	0.03
योग 9	0.31
कुल योग	1.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कल्याणपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक 17 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-परशुरामपुर, प.ह.नं. 67
राजापुर, प.ह.नं. 66
जगन्नाथपुर, प.ह.नं. 66

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 + 1.12 + 0.33=1.88 हेक्टे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

ग्राम-परशुरामपुर, प. ह. नं. 67

	खसरा नम्बर	रकबा
	782/4	0.01
	553/2	0.05
	1679	0.02
	509	0.18
	1413	0.09
	1746	0.02
	541	0.06
योग	7	0.43

ग्राम-राजापुर, प. ह. नं. 66

	खसरा नम्बर	रकबा
	51	1.12
योग	1	1.12

ग्राम-जगन्नाथपुर, प. ह. नं. 66

	खसरा नम्बर	रकबा
	577	0.04
	573	0.24
	571	0.05
योग	3	0.33
कुल योग		1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परशुरामपुर जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 2- अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसिया, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.760 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	885	0.237
	891	0.023
	1409	0.036
	1347	0.039
	1350	0.014
	1351	0.179
	1352	0.147
	1353	0.125
	1354	0.034
	1356	0.056
	1357	0.190
	1389	0.035
	1445	0.048
	1411	0.033
	1390	0.067
	1391	0.027
	1392	0.032
	1393	0.024
	1394	0.036
	1398	0.060
	1399	0.052
	1400	0.015
	1414	0.033
	1415	0.038
	1428	0.056
	1438	0.070
	1451	0.054
योग	27	1.760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैजनाथपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 3- अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बैजनाथपुर, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	34/2	0.01
	35	0.09
	36	0.04
	54	0.03
	55	0.03
योग	5	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैजनाथपुर जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 4- अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बैजनाथपुर, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	47	0.02
	39	0.01
	45	0.03
	43	0.07
	44	0.11
	42	0.01
	21	0.02
	41	0.03
	40	0.04
	38	0.06
योग	10	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैजनाथपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 5- अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-गिरजापुर, प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
250	0.06
151	0.02
261	0.01
314	0.01
324	0.03
365/1	0.02
370	0.03
380/1	0.05
315	0.02
317	0.02
348	0.01
351	0.02
366	0.04
319	0.01
218	0.01
318	0.03
321	0.04
349	0.01
353	0.03
364	0.06
371	0.02
316	0.02
322	0.06
325	0.05
354	0.01
377	0.04
392	0.16
326	0.03
369	0.03
365/2	0.02
380/2	0.08
367	0.02
379	0.05
390	0.01
391	0.06
219	0.01
योग 36	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिरजापुर जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 31 अगस्त 2004

प्र. क्र. 634/अ-82/02-03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बोंडासागर, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.630 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1614	0.089

	(1)	(2)
	317/2	0.081
	158/4	0.032
	317/1	0.307
	317/3	0.121
योग	5	0.630

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-फगुरम
(घ) लगभग क्षेत्रफल-91.516 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
829/1	0.282
829/2	0.281
830	1.299
831	0.870
832/4	1.982
832/9	0.850
832/10	0.162
832/10	0.202
832/8	0.688
670/1 ग	0.113
670/1 घ	0.061
670/1 ङ	0.142
671	0.040
672	0.090
692/1	0.031
692/2	0.031
692/3	0.031
692/4	0.031
692/5	0.034
694/1	0.100
694/2	0.080
694/3	0.196
695/2	0.178
697/1	0.159
697/2	0.159
697/3	0.159
697/4	0.159
698/1	0.283
698/2	0.417
699/1	0.162
699/2	0.506
700	0.295
701/1	0.097
701/2	0.094
701/3	0.094
702	0.186
703/1	0.061
703/2	0.020
704/1	0.114
704/2	0.114
704/3	0.116
704/4	0.212
704/5	0.212
704/6	0.212

(1)	(2)
704/7	0.212
704/8	0.212
705/1	0.040
705/2	0.445
705/3	1.165
705/4	0.526
705/5	0.283
705/6	0.081
705/7	0.138
705/8	0.161
705/9	0.121
706/1	0.202
706/2	0.405
707/2	0.121
708/1	0.121
708/2	0.087
708/3	0.405
708/4	0.704
708/5	0.078
708/6	0.087
708/7	0.087
709/1	0.318
709/2	0.405
709/3	0.317
710/1	0.137
710/2	0.325
711	0.486
712/1	0.270
712/2	0.143
713	0.227
714	0.206
715	0.138
717/1	0.582
717/2	0.526
719	0.417
720	0.147
721/2	0.112
722/6	0.040
733	0.140
734	0.065
735	0.384
736/1	0.056
736/2	0.090
737/1	0.060
737/2	0.060
737/3	0.060
737/4	0.061
738/1	0.070
738/2	0.070
738/3	0.070
738/4	0.070
738/5	0.072
739/1	0.020
739/2	0.098
739/3	0.084
740/1	0.166
740/2	0.040
741	0.040
742/1	0.101
742/2	0.057
743/1	0.096
743/2	0.096
743/3	0.096
743/4	0.099
743/5	0.096
743/6	0.096
744	0.150
745	0.279
746/1	0.040
746/2	0.162
746/3	0.221
747/1	0.242
747/2	0.405
747/3	0.241
747/4	0.175
747/5	0.175
748/1 घ	0.223
748/1 ङ	0.587
748/1 च	0.567
748/1 ज	0.162
748/1 झ	0.081
748/2	0.174
749	0.040
750	0.065
751	0.109
752	0.089

(1)	(2)
753	0.194
754	0.603
755/2	0.162
756/1	1.133
756/2	0.242
756/3	0.709
756/4	2.106
756/5	0.202
756/6	0.506
756/7	0.242
756/8	0.567
756/9	0.243
756/10	0.222
756/11	0.506
756/12	1.092
748/3	0.526
748/1 छ	0.113
758	0.198
759/1	0.809
759/2	0.145
759/3	0.145
759/4	0.145
759/5	0.144
760	0.607
762	0.295
763/1	0.364
763/2	1.174
763/3	0.364
763/4	0.364
764/1	4.000
764/2	
764/3	
764/4	
764/5	
764/6	
764/7	
764/8	
764/9	
764/10	
764/11	
764/12	
764/13	
764/14	

(1)	(2)
781/3	0.069
785/1	0.040
785/2	0.202
785/3	0.400
786/1	0.107
786/2	0.108
787/1	0.121
787/2	0.182
787/3	0.162
787/4	0.025
788/1	0.299
788/2	0.057
789	0.134
790/1	0.450
790/2	0.453
793	0.194
794/1	0.103
794/2	0.103
791/1	0.202
791/2	0.211
791/3	0.211
792/1	0.101
792/2	0.121
792/3	0.202
792/4	1.007
792/5	0.097
792/6	0.101
792/7	0.170
792/8	0.202
792/9	0.113
792/10	0.125
792/11	0.049
792/12	0.040
792/13	0.050
792/14	0.202
792/15	0.128
792/16	0.081
792/17	0.260
792/18	0.090
795/1	0.537
795/2	0.369
795/3	0.190
796	0.105

(1)	(2)
797	0.761
798/1	0.121
798/2	1.497
798/3	0.242
798/4	0.079
798/5	0.077
798/6	0.076
799/1	0.405
799/2	0.405
800/1	0.040
800/2	0.040
800/3	0.121
800/4	0.124
800/5	0.081
800/6	0.040
800/7	0.070
802	0.664
803/1	0.128
803/2	1.578
803/3	0.607
803/4	0.128
803/5	0.128
803/6	0.607
804	1.801
805	0.320
806	0.684
807/1	1.894
807/2	0.344
809	1.542
811	0.498
813	0.198
814/1	0.190
814/2 क	0.021
814/3 क	0.020
814/4 क	0.020
814/3	0.201
814/4	0.089
814/5	0.081
814/6	0.109
814/7	0.081
814/8	0.040
814/9	0.040
814/10	0.040
814/11	0.040
814/12	0.061
814/13	0.040
814/14	0.081
814/15	0.202
814/16	0.081
814/17	0.069
815/1	0.198
815/2	0.197
801/1	0.095
801/2	0.095
816/1	0.809
816/2	1.032
817/2	0.713
818	0.595
819	0.955
820	0.587
821	1.173
824/1	0.607
824/2	0.686
824/3	0.405
824/5	2.023
822/1	0.324
822/2	0.179
822/3	0.972
822/4	0.218
823/1	0.202
823/2	0.036
823/3	0.202
823/4	0.264
824/6	0.607
825/1	0.668
826	1.343
827	0.299
828/2	1.518
828/3	1.214
828/4	0.405
828/5	0.405
824/7	0.607
योग 298	91.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोयला उत्खनन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बिजारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.896 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/15	0.040
19/16	0.040
19/17	0.101
19/18	0.100
35	0.405
36	0.900
37/1	0.080
37/2	0.405
38/1	0.809
38/3	2.922
38/4	0.910
38/5	0.405
38/6	0.502
38/11	0.587
38/12	0.737
38/13	2.624
38/14	2.262
38/15	2.452
38/17	0.240
38/18	0.081
38/19	0.100
38/21	0.809
39/9	0.200
39/12	0.405
39/16	0.405
39/11	0.100
39/18	0.205
39/10	0.070
योग 28	18.896

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोयला उत्खनन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बरौद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.552 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
352/2	0.482
365	0.121
366	0.522
369/1	0.223
370	0.500
385	0.040
386	0.100
387/764/1	0.001
387/764/2	0.041
387/764/3	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
387/764/4	0.040	729/41	0.081
387/764/5	0.041	729/42	0.081
371	0.409	729/43	0.020
729/1 ग	1.011	729/44	0.040
729/2	0.040	729/45	0.040
729/3	0.082	729/46	0.040
729/4	0.081	730/1	1.016
729/5	0.081	730/2	0.020
729/6	0.081	730/3	0.020
729/7	0.081	730/4	0.020
729/8	0.081	730/5	0.020
729/9	0.040	730/6	0.040
729/10	0.040	730/7	0.041
729/11	0.040	730/8	0.040
729/12	0.040	730/9	0.040
729/13	0.020	730/10	0.040
729/14	0.020	730/11	0.040
729/15	0.020	730/12	0.041
729/16	0.040	730/13	0.040
729/17	0.040	730/14	0.040
729/18	0.040	730/15	0.040
729/19	0.040	730/16	0.040
729/20	0.040	730/17	0.040
729/21	0.020	730/18	0.041
729/22	0.020	730/19	0.040
729/23	0.020	730/20	0.040
729/24	0.020	730/21	0.041
729/25	0.020	730/22	0.040
729/26	0.020	730/23	0.040
729/27	0.020	725	1.137
729/28	0.020	726/1	0.526
729/29	0.020	726/2	0.040
729/30	0.020	726/3	0.081
729/31	0.020	726/4	0.081
729/32	0.020	734/1	0.121
729/33	0.020	734/2	1.009
729/34	0.020	734/3	0.040
729/35	0.020	734/4	0.040
729/36	0.040	734/5	0.020
729/37	0.040	734/6	0.020
729/38	0.040	734/7	0.020
729/39	0.040	734/8	0.020
729/40	0.040		

(1)	(2)
734/9	0.021
734/10	0.020
734/11	0.012
734/12	0.008
734/13	0.041
734/14	0.020
734/15	0.020
734/16	0.020
734/17	0.020
734/18	0.020
734/19	0.020
734/20	0.040
734/21	0.040
734/22	0.020
734/23	0.041
734/24	0.020
734/25	0.040
734/26	0.040
734/27	0.041
732	0.117
728	0.526
387/1	1.000
734/28	0.012
734/29	0.012
734/30	0.020
734/31	0.021
734/32	0.020
734/33	0.020
734/34	0.020
734/35	0.040
734/36	0.036
734/37	0.020
734/38	0.021
734/39	0.020
734/40	0.020
734/41	0.041
734/42	0.040
734/43	0.040
735/1	0.524
735/2	0.175
735/3	0.175
735/4	0.174
736	0.259
745/1 से 4	0.400
योग 139	14.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोयला उत्खनन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 मार्च 2004

क्रमांक 372/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-बघेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.21 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
625	2.01
626	0.84
627	0.90
628/2	0.28

(1)	(2)
628/1	0.23
630/3	0.14
630/1	0.02
630/2	0.46
629	0.16
631	0.32
633/2	0.84
634	0.58
621	2.65
329	0.61
377	1.20
638	0.34
644	0.26
639	0.39
645	0.29
646	0.62
649	0.61
653	1.00
652/1	0.60
651	0.50
595/3	1.02
595/1	0.42
382/1	0.05
382/3	0.55
650	0.61
613	1.01
612	0.17
617	0.22
611	0.19
618	0.24
610	0.16
614	0.42
600	0.19
603	0.19
601	0.10
602	0.17
380	0.24
311	0.07
604	0.06
598	0.04
606	0.08
312	0.09
607	0.32
599	0.11
608	0.13
609	0.43
378	0.79
379	0.65
81	0.02
82	0.03
85/1	0.03
85/2	0.03
117	0.05
119	0.05
120	0.04
121/3	0.03
115	0.13
326/2	0.14
327	0.06
332	0.03
योग 64	25.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 मार्च 2004

क्रमांक 376/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-डंगनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
698	0.11
699	0.38
700	0.44
701	0.21
702	0.31
703	0.07
704	0.22
706	0.15
योग 8	1.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 6 दिसम्बर 2004

क्रमांक 456/भू-अर्जन/अ.वि.अ./26-अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-मोंगरापाली/तेन्दूकोना, प. ह. नं. 121/68
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
510	0.05
511	0.18
349	0.26
350	0.08
योग 4	0.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मचका नाला पिथौरा, बागबाहरा मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2004

क्रमांक 18/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अभिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-डाहीबहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.558 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
339	0.073
344	0.061
341	0.032
343	0.012
348	0.093
338	0.040
333	0.085
340	0.065
355	0.097
योग 9	0.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डाहीबहरा जलाशय लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2004

प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-सारधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.699 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
658	0.024
659	0.061
678	0.344
680	0.121
679	0.049
683	0.121
684	0.607
685	0.125
686	0.174
682/1	0.121
690	0.020
691	0.251
692/1, 692/2	0.628
693/1, 693/2, 693/3	0.121
694/1, 694/2	0.223
695	0.182
696	0.020
705	0.049
829	0.012
830	0.389
831	0.057
योग 21	3.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2004

प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमतरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.343 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
311	0.024
315	0.061
313	0.012
314	0.012
318/1	0.020
319	0.012
400/2, 401/2, 402/2	0.101
400/1, 401/1, 402/1	0.101
योग 8	0.342

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2004

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-कुवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.157 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.049
2	0.304
3	0.012
18/1	0.101
18/3	0.445
18/4	0.437
18/5	0.004
19/2	0.190
20/2	1.153
21	0.129
22	0.255
23	0.024
25/1, 25/3	0.393
68	0.113
71	0.470
72	0.219
73	0.117
75	0.016
76	0.008
301/1	0.069
301/3	0.016
323	0.081
341/1	0.004
370/1	0.012
370/2	0.494
370/3	0.016
370/5	0.142
379/1	0.016
379/2	0.121
379/3	0.158
379/4	0.202
379/5	0.121
380	0.121
381/2	0.020
381/4	0.036
382	0.020
387/1	0.089
387/2	0.081
387/3	0.065
387/4	0.283
388/2	0.089
308/3	0.360
388/4	0.004
388/7	0.069
391/1	0.028

(1)	(2)
391/2	0.049
391/3	0.061
392/1	0.186
292/2	0.506
406/3	0.012
410/1	0.247
410/2	0.041
411/1	0.186
411/2	0.134
412	0.101
413	0.279
414/1	0.012
306	0.008
307	0.024
308/1	0.040
309	0.332
311	0.045
312	0.020
313	0.235
348/1	0.024
350/1	0.486
351	0.146
355	0.243
356	0.049
374/1	0.016
374/2	0.170
404	0.340
74	0.008
योग 73	11.156

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.177 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
699/1	0.024
700/2	0.008
700/5	0.012
700/6	0.008
700/7	0.012
700/1	0.028
700/3	0.053
701	0.032
योग	0.177

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहदा अटर्रा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-अटर्रा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.088 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
355/2, 356	0.012
358/1, 358/2	0.004
359/1	0.012
359/2	0.012
355/3	0.012
355/1	0.016
351/1	0.020
योग	0.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहदा अटर्रा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2005

प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-तोरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
48/1	0.01
48/2	0.02
48/3	0.01
49/1	0.02
49/2	0.02
50	0.02
52	0.05
53	0.04
54	0.01
55	0.01
56	0.05
60	0.05
61	0.05
62/1	0.02
62/2	0.02
75	0.10
77	0.11
79	0.11
80	0.02
81	0.02
101	0.10
102	0.09
103	0.09
104	0.39
105	0.17
106	0.03
107/1	0.10
107/2	0.03
108/1	0.06
108/2	0.05
109/1	0.03
190/1	0.08
190/2	0.08
222	0.15
228/1	0.42
233/1	0.05
228/2	0.14
230	0.37
233/2	0.02
612	0.30
614	0.50
615	0.43
616/1	0.21
616/2	0.22
617/1	0.35
617/2	0.35
618	0.72

(1)	(2)
606	0.14
607/1	0.11
607/2	0.04
608/1, 609/1, 610/1	0.17
608/3, 609/3, 610/3	0.08
608/4, 609/4, 610/4	0.09
608/5, 609/5, 610/5	0.08
611	0.28
613	0.42
625/1	0.15
625/2	0.14
626/1	0.14
626/2	0.14
627/1	0.19
627/2	0.18
628	0.15
626/3	0.15
629	0.13
योग 65	9.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2005

प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-फदहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.36 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
36	0.44
37/1	0.61
37/2	0.54
37/3	0.57
39/1	0.35
39/2	0.35
41	0.51
45/1	0.47
45/2	0.25
45/3	0.31
62	0.47
63/1	0.44
63/2	1.85
65/1	0.20
65/2	0.20
114	0.03
115/3	0.12
287/1	0.05
288	0.30
289	1.40
287/3	0.18
298	0.70
304/1	0.70
304/2	0.70
304/3	0.70
303	1.12
326/3	0.03
326/2 क	0.25
327/1	0.25
327/4	0.80
327/6	0.05
328/1	0.05
287/2	0.13
299	0.64
40/2	0.05
286	0.18
300/1	0.14
300/3	0.23
योग 38	16.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2005

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोपका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1010	0.22
1012	0.55
1013	0.30
1014	0.12
1015	1.64
1016	1.31
1019/2	0.27
1020	0.32
1022/1	0.99
1022/2	0.99
1022/3	0.61
1022/4	0.60
1030/1	1.26
1028/2, 1029/2	0.05
1028/1, 1029/1	0.04
1028/3, 1029/3	0.09
1028/4, 1029/4	0.09
1030/2	0.62
1031	0.20
1033	0.89
2519/1	1.40
योग 21	12.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरीझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.527 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102	0.069
105/1	0.076
107	0.182
108/1	0.012
108/2	0.028
108/3	0.028
108/4	0.028
116/1	0.016
108/5	0.016
110, 111/1	0.218
111/2	0.227
112/1	0.174
112/2	0.040
113	0.105
114	0.073
115	0.235
योग 16	1.527

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोरझोरा डीपा जलाशय के बांध हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-खरसिया
   (ग) नगर/ग्राम-बसनाझर
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95/1	0.040
95/3	0.040
योग 2	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोरझोरा डीपा जलाशय के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-खरसिया
   (ग) नगर/ग्राम-बसनाझर
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.153 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90	0.113
95/1	0.040
योग 2	0.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोरझोरा डीपा जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-खरसिया
   (ग) नगर/ग्राम-टांडापारा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.399 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
408	3.577
411	0.324
413/1	0.567
414	0.247
413/2	0.243
416	1.360
418	0.081
योग 7	6.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टांडापारा जलाशय के बांध हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-टांडापारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	302	0.061
योग	1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टांडापारा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2004

क्रमांक क/ख.लि./2004.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत खनिज की सूची में दर्शाये अनुसार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस दिन) के पश्चात् आवंटन के लिए उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने पश्चात् व आवेदित खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प.ह.नं. (3)	तहसील (4)	खसरा नंबर (5)	रकबा (6)	अन्य विवरण (7)
1.	निसदा	148/50	आरंग	1350	0.90 एकड़	श्री गोविन्द कुमार कन्नौजे को ग्राम निसदा में चूना-पत्थर 4-10-98 से 3-10-2003 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत रहा, अवधि समाप्त हो गया है.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.